भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3943

दिनांक 18, मार्च 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत के विरुद्ध डब्ल्यूटीओ का निर्णय

3943. श्री सय्यद ईमत्याज जलीलः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) के आग्रह पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के पैनल ने भारत की निर्यात संवर्धन योजनाओं के खिलाफ फैसला सुनाया है;
(ख) यदि हां, तो क्या डब्ल्यूटीओ ने मर्चेंडाइज निर्यात भारत योजना (एमईआईएस), विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) आदि के तहत रियायतों को वापस लेने के लिए कोई समय–सीमा दी है;
(ग) यदि हां, तो क्या अमरीकी अभिसमय के अनुसार, भारतीय निर्यातकों को भारत लगभग 7 बिलियन डॉलर की राजसहायता प्रदान करता है; और
(घ) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन के निर्णय पर भारत का रुख क्या है और सरकार द्वारा पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहे निर्यातकों का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान पैनल ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 को सदस्यों को जारी अपनी रिपोर्ट में फैसला सुनाया है कि भारत की निर्यात संवर्धन स्कीमें (उदाहरणार्थ भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम, निर्यात उन्मुख इकाइयां स्कीम, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्कीम, पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन स्कीम और निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त आयात स्कीम आदि) निर्यात प्रासंगिक हैं तथा वे सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों सम्बंधी करार के तहत निषिद्ध प्रकृति की सब्सिडियां हैं और इस कारण वे डब्ल्यूटीओं मानदंडों से असंगत हैं । इस पैनल ने इन स्कीमों को वापस लेने के लिए 90 - 180 दिनों की समय -सीमा दी है । तथापि, भारत ने दिनांक 19 नवंबर, 2019 को इस पैनल रिपोर्ट पर अपील की है और अपीलीय निकाय के गैर प्रचालनात्मक होने के कारण इस अपील को आस्थगित रखा गया है । अपील के निपटान होने तक भारत पैनल की सिफरिशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है ।

(ग) और (घ) : हांलाकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दावा किया है कि भारत उपयुक्त स्कीमों में सब्सिडियां प्रदान कर रहा है, भारत ने विवाद में अपना मत प्रस्तुत किया है कि सब्सिडियां निर्यात प्रासंगिक नहीं हैं और इसलिए डब्ल्यूटीओं मानकों के संगत हैं । भारत ने पैनल के निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की है ।

****